

March 29, 2024

BSE Limited, (Corporate Relationship Department), P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

BSE Code: 530343

National Stock Exchange of India Ltd., (Listing & Corporate Communications), Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051.

NSE Symbol: GENUSPOWER

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspapers advertisement with regard to completion of dispatch/emailing of Notice of the Postal Ballot and E-Voting Particulars.

Please find enclosed herewith a copy of newspaper advertisement published in Business standard (English and Hindi) on March 29, 2024, with regard to completion of dispatch/email of the Notice of Postal Ballot and E-Voting Particulars to the Members of the Company.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For Genus Power Infrastructures Limited

Puran Singh Rathore (Joint Company Secretary & Compliance Officer)

Encl. as above



TOO GIG TO FAIL

GIG AND PLATFORM WORK IS BURGEONING AT A BREAKNECK SPEED IN INDIA. DO WE REALLY UNDERSTAND IT?

SHIVA RAJORA

New Delhi, 28 March

Raman Mann, 41, took to driving a cab for an application-based aggregator in Delhi last August after he was laid off as a security guard. Rizul Khan, 24, delivers packages for a food delivery platform in Noida.

They are drops in the ever swelling ocean of India's gig and platform economy, which is estimated to have 8 million workers and expected to grow to 23.5 million by 2029-30, according to a NITI Aayog report released in 2022. Another study, by the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) in association with human resource firm Randstad India, in 2023, says 42.24 per cent of India's startups are now looking to hire temporary and gig workers.

No doubt, gig work and gig workers have become commonplace.

We hear about them often. Do we fully understand them?

Gig work is often used in the same breath as "platform". The latter refers to organisations, usually using internet-based technologies, that bring together service providers, who are not its employees, and customers for a fee. However, "gig" and "platform" work have been tricky to define. Both are seen as a part of a wider category of "nonstandard employment", where the work is contingent and non-permanent.

Section 2 (35) of the Code on Social Security, 2020, which is part of the four new labour codes, for the first time, defined "gig worker" as a person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional emplover-emplovee relationshir Section 2 (60) of the code defined "platform work" as a work arrangement outside traditional employeeemployer relationship in which an online platform is used to solve specific problems or to provide specific services that may be notified by the Central government. Section 2 (61) of the code defined "platform worker" as someone engaged in platform work.

Meanwhile, the NITI Aayog report defined gig workers as those engaged in livelihoods outside the traditional employer-employee arrangement and classified them into platform and nonplatform-based workers.

"Platform workers are those whose work is based on online software apps or digital platforms. Non-platform gig workers are generally casual wage workers and own-account workers in the conventional sectors, working part-time or full time,'

the report says. However, since labour is a concurrent list item laws for it can be made by both Parliament as well as state assemblies — the rules under the new code need to be drafted by the Centre as well as states for implementation. According to a recent study by V V Giri National Labour Institute, only 27 states and Union territories had framed the draft rules under the code by November 2022, and there is significant divergence among these state rules, causing delays in implementation.

Thanks to these delays, those such as Raman Mann and Rizul Khan work long hours without any paid leave, health benefits, pension, provident fund, or medical cover.

Akriti Bhatia, founder of People's Association in Grassroots Action and Movements, says the way the terms "gig" and "platform worker" have been defined in the new code is a misclassification. Gig and platform workers work for money on a specific task of their own

FEAR AND LOATHING

In October last year, a pizza delivery man in Pune, Maharashtra, was assaulted and threatened with a gun fired in the air by an angry customer whose pizza was delivered late. Such incidents are increasing for gig and platform workers. A survey by PAIGAM, an NGO, found the following:

Nearly 47% of cab drivers reported facing some form of violence at work

41.5% of delivery persons said they had faced violent situations at work

64% gig workers reported not getting support from their platform companies when faced with such incidents

99.3% of cab drivers reported experiencing anxiety, stress, and chronic pain in the body

98.5% of delivery personnel, too, reported the

This is believed to be a result of long working hours and

volition outside of traditional employer-employee relationship. In India, though, platform and gig work have emerged as the principal form of work for millions.

This, says Bhatia, is a reality the new code has not taken into account.

Working conditions

A recent survey of 10,000 cab drivers and delivery persons by the University of Pennsylvania in Delhi, Lucknow, Jaipur, Indore, Mumbai, Kolkata, Hyderabad and Bengaluru revealed that nearly 60 per cent cab drivers reported working for more than 12 hours in a day, and 78 per cent delivery personnel for more than 10

hours a day.

"Anybody working such long hours should get fulltime employee status. In India,

workers start their professional life by engaging with these platforms in a flexible way, but the deteriorating labour market makes them dependent on these platforms for livelihood," Bhatia says.

In the UPenn survey, 43 per cent of cab drivers reported a net monthly earning (after deducting costs such as food, fuel, vehicle maintenance and equated monthly instalments) of less than ₹15,000, and 34 per cent delivery persons reported ₹10,000. Eighty-three per cent cab drivers and 73 per cent delivery persons reported being affected by deactivation and blocking by platforms.

"A few months ago, I had to sit idle for 21 days following a complaint against me by a user," says Khan. "Had there been a law, I could have presented my side of the events.'

Mann, too, makes a case for bringing gig work under the existing labour laws until the new codes come

"It has been more than a year and I hardly took any weekly offs or leave. My family remains worried as I am always on the road and have no accident insurance. A lot of my earning goes into increased fuel and maintenance costs and the occasional traffic fines," he says.

But there is another side to this. A study by Ola Mobility Institute says platforms across the board offer accident cover, including disability and death, that passenger mobility platforms provide up to ₹5,00,000 and hyperlocal delivery platforms ₹3 lakh to ₹10 lakh, along with health and medical support.

Time for a new law?

Farlier this month, Congress leader Mallikarjun Kharge said on the social media platform, X, that if his party was elected to power, it would bring in a new law, on the lines of the one in Rajasthan, to improve the working conditions for gig and platform workers and give them social security.

"Crores of such youth who are supporting themselves and their families by working informally in the gig economy shall be benefitted," he posted.

Rajasthan, under the previous government led by the Congress, passed the Rajasthan Platform-Based Gig Workers (Registration and Welfare) Act last year, which provided for a welfare board and a registry of all gig workers, aggregators, and primary employers in the state who worked with gig workers. The gig worker would also be assigned an ID number valid across platforms for the duration of the work. A platform-based welfare cess will be collected on each transaction, between 1 and 2 per cent of the transaction value, to fund social security schemes for gig workers.

However, Rajasthan, where there is a new government, has yet to frame the rules for this.

Shaik Salauddin, general secretary, Indian Federation of App-based Transport Workers, says recognition of the problems being faced by platformbased workers by state governments is a welcome move. But a lot of issues remain unaddressed.

"The upcoming new laws must recognise a gig and platform-based worker as an 'employee' and assure

minimum earnings per day in accordance with the state laws on minimum wages. Also, simple, transparent and fair contracts are needed to better their lives," he says.

The NITI Aayog report called for skill development for platform jobs, accelerating finance for platform workers, refining the employment survey meth-

odologies to better enumerate platform workers, enhancing social inclusion in the new age digital economy, and extending social security benefits to workers engaged in irregu-

Mann and Khan are waiting.

Genus **Genus Power Infrastructures Limited**

(Registered Office: G-123, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh, India) (Tel.:+91-120-2581999; Email: cs@genus.in; Website: www.genuspower.com; CIN: L51909UP1992PLC051997 Notice of Postal Ballot and Remote E-Voting Information

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rule 22 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI, in this regard (Collectively referred to as "applicable Circulars"), Regulations 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings and pursuant to such other applicable laws and regulations, the Notice of Postal Ballot seeking consent of the members of Genus Power Infrastructures Limited ("the Company") by means of Postal Ballot only through remote 'electronic voting' (e-voting) for the following resolutions set out in the Postal Ballot Notice dated March 27, 2024 has been sent by email on March 28, 2024 to those Members, whose names appear on the Register of Members / List of Beneficia Owners as at the close of business hours on Friday, March 22, 2024 ("Cut-Off Date") received from the Depositories and whose e-mail address is registered with the Company / Registrar

and Transfer Agent / Depository Participants / Depositories

S. No.	Description of Resolution/Items		
1	I To appoint Mr. Chirag Mansukh Patel as an Independent Director of the Company		
2	Special		
3	3 To appoint Ms. Shweta Gupta as an Independent Director of the Company		
4	To approve revision in overall borrowing powers of the Company under Section 180(1)(c) of Companies Act, 2013		
5	5 To approve creation of sec urities/mortgage/charge on the assets of the Company und Section 180(1)(a) of Companies Act, 2013		
6	To approve loan, guarantee or security under Section 185 of Companies Act, 2013		

en dispensed with under the applicable Circulars. The business is to be transacted by postal ballot through e-voting process only and the communication of the assent or dissent or the Members would take place through e-voting only.

The Company is pleased to provide e-voting facility to its Members to exercise their right to vote on the proposed resolutions by electronic means (remote e-voting) through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). The remote e-voting period begins on Saturday, March 30, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, April 28, 2024 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date. Once the vote on the resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date i.e. Friday, March 22, 2024 may cast their vote electronically. Voting rights of a Member / Beneficial Owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the said Cut-Off Date

Members as on the Cut-Off Date, who have not received email of Postal Ballot Notice may write an email to 'cs@genus.in' with subject-line as "Postal Ballot Notice" and obtain the same. Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email address with the Company, may requested to register / update their e-mail address and mobile number by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at www.genuspower.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to M/s. Niche Technologies Private Limited at 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7As 7B, Kolkata-700017. Members holding shares in electronic mode, who have not registered their email address and mobile number, are requested to register the same with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts, which is mandatory while e-voting.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website www.genuspower.com, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at 'www.bseindia.com' and 'www.nseindia.com', respectively, and on website of CDSL at 'www.evotingindia.com'. If you have any queries or issues regarding evoting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to 'helpdesk.evoting@cdslindia.com' or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to 'helpdesk.evoting@cdslindia.com' or call toll free no. 1800 22 55 33. Members may also write to the Company Secretary at the email ID at 'cs@genus.in' with subject as "Postal Ballot Notice".

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sandeep Jain (Membership No FCS 5398, CP No. 4151) and in his absence Ms. Lata Gyanmalani (Membership No. FCS 10106, CP No. 9774), partners of M/s. ARMS & Associates LLP, Practicing Company Secretaries, Jaipur as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot only through the remote e-voting process and for scrutinizing the votes casted therein, in a fair and transparent

The results of the voting by Postal Ballot (through e-voting process) along with the Scrutinizer's report will be announced by the Chairman of the Company or any other person authorized by him, within two working days of conclusion of evoting. The results of the Postal Ballot will be posted on the Company's website at 'www.genuspower.com' and the website of CDSL at 'www.evotingindia.com' and will be displayed at its Registered Office of the Company. The results will also be communicated to NSE and BSE, where the equity shares of the Company are listed.

By Order of the Board of Directors o

Place : Jaipur Dated : March 28, 2024 Puran Singh Rathore



HITECH CORPORATION LIMITED

CIN: L28992MH1991PLC168235 Regd. Office: 201, 2nd Floor, Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013. : www.hitechgroup.com; email: investor.help@hitechgroup.com Tel.: +91 22 4001 6500 / 2481 6500

NOTICE OF POSTAL BALLOT/E-VOTING Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section

110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") reac vith Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 "the Rules"), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 ssued by the Institute of Company Secretaries of India including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circulars No. Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 03/2022 dated May 5, 2022 and 9/2023 dated September 25, 2023 espectively ("MCA Circulars") and subject to other applicable laws and regulations, the Postal Ballot Notice alongwith instructions for e-voting has been sent on Thursday, March 28, 2024 in electronic mode only through National Securities Depository Limited (NSDL) to those Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants or the Company/Link Intime India Private Limited, Registrar & Transfer Agent (RTA) of the Company, for seeking Members' approval for the matter as mentioned in the Postal Ballot Notice by way of Special Resolution through Remote E-voting.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mayank Arora, Practicing Company Secretary (Membership No.: FCS 10378 and CP 13069), Partner of Mayank Arora and Co, as the Scrutinizer to scrutinise the votes cast by remote e-voting through Postal Ballot process in a fair and transparent manner

In compliance with sections 108 and 110 of the Act, the Rules and Regulation 44 of the isting Regulations, the Company is pleased to provide the facility of voting by remote evoting to its members to exercise their right to vote on the resolution proposed to be

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited 'NSDL') to provide remote e-voting facility.

The Postal Ballot notice is also made available on the Company's website a www.hitechgroup.com under Investor Section and on the Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com; www.nseindia.com and is also made available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com/

A person whose name appears in the Register of Members /List of Beneficial Owners naintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, March 22, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cutoff date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice fo nformation purpose only. Members shall vote by using remote e-voting facility. The voting will commence on Sunday

March 31, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Monday April 29, 2024 at 5.00 p.m. (IST) and thereafter the remote e-voting module shall be disabled/blocked for voting. The emote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently

The manner of casting votes through remote e-voting for Members holding shares in lematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their e mail address is provided in the Postal Ballot Notice.

n case of any queries regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL by email at evoting.msdl.com or call on∴ 022-4886 7000/2499 7000.

n case of any queries regarding Postal Ballot Notice you may write to the Company Secretary at investor.help@hitechgroup.com

In terms of the MCA Circulars, Members who have not registered their e-mai addresses and as a consequence could not receive the Postal Ballot Notice may get their email addresses registered with RTA by clicking on the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and following the registration process as guided thereafter. After successful submission of the email address, RTA will email a copy of the Notice alongwith the e-voting user ID and password.

The results of Postal Ballot process through remote e-voting shall be declared on or before Nednesday, May 1, 2024 and will be displayed along with the Scrutinizers Report at the Registered Office and will be communicated to the Stock Exchanges viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the shares of the Company are listed and would also be uploaded on the website of the Company: <u>www.hitechgroup.com</u> and on the

The resolutions, if passed by the requisite majority shall be deemed to have been passed on Monday, April 29, 2024 i.e., the last date specified for receipt of votes through the e-

For Hitech Corporation Limited

Place : Mumbai Date : March 28, 2024

Ashish Roongta Company Secretary & Compliance Officer

MUNICIPAL CORPORATION CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR Phone No. (0240)2333536-40, 2348001-05 (PBX) Fax No.(0240)2331213

No./CSMC/BOT/87/2024

Date: 28-03-2024

CORRIGENDUM

Tender notice for Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) operator for Collection, transportation, storage, treatment and disposal of bio medical waste for health facilities. Area Chhatrapati Sambhajinagar, on Build Operate and Transfer [BOT] Basis. Tender ID 2024_AMCA_1034371_1, Dated 13/03/2024. in daily news papers and also on www.mahatenders.gov.in. In section 1.1 Schedule of bid opening process last date of submission is 08/04/2024 changed and extended to 10/05/2024 upto 16.00 hrs is considered, Schedule of Opening of Technical Bid & Date for Power Point Presentation (Proof of Concept) would be communicated to bidders. for further details refer mahatenders.gov.in portal. Rest of the conditions remains unchanged. Sd/-

Municipal Commissioner & Administrator **Municipal Corporation, CSMC**

SURYODAY

SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED

CIN: L65923MH2008PLC261472 Registered & Corporate Office: Unit No. 1101 Sharda Terraces. Plot No. 65 Sector-11 CBD Belapur, Navi Mumbai-400614 Tel No: +91 22 4185 6700

Website: www.suryodaybank.com Email ID: company.secretary@suryodaybank.com POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and Section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 22 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, including any statutory modification(s) larification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribe clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("McA"), Government of India, for holding general meetings / conducting Postal Ballot process through voting by electronic means ("remote e-voting") vide General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 19/2023 dated April 08, 2023 and other relevant circulars, issued by MCA (hereinafter collectively referred to as the "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India's Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PD-D-2/ P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and other applicable laws, rules, regulations, circulars and otifications thereunder, as applicable, the Postal Ballot Notice dated March 22, 2024, has been set by e-mail to all the Members of the Bank who have registered their email addresses with the Bank of Bank's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), namely Kfin Technologies Limited (*immerly known as KFin Technologies Private Limited* ("**KFIN or KFintech**")] or Depository / Depository Participants and whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, March 22, 2024 ("Cut-off Date"), for seeking their approval or the following Resolutions through Postal Ballot by way of remote electronic voting ("remote

Sr. No.	Description of Special Business	Type of Resolution		
1	To take note of the appointment of Mr. Krishna Prasad Nair (DIN: 02611496), Independent Director, as Non-Executive Part-time Chairman of the Bank.			
2	To approve the appointment of Mrs. Swati Datye (DIN: 06751552) as an Independent Director of the Bank.	Special		
3	To approve the appointment of Mr. Hemant Premchand Shah (DIN: 10548728) as a Director of the Bank.	Ordinary		
4	To approve the appointment of Mr. Hemant Premchand Shah (DIN: 10548728) as Whole-time Director, designated as Executive Director and Key Managerial Personnel of the Bank, on the terms and conditions, including the remuneration, as approved by the Reserve Bank of India.	Ordinary		
In te	ms of the MCA Circulars, the requirement of sending physical copies of Postal Ballot Notice			

"Notice" / "Postal Ballot Notice") and Forms has been dispensed with. Accordingly, physical copies of Postal Ballot Notice, Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope have not been sen to the Members. Further, the MCA Circulars advise that the communication of assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only. The Bank has engaged KFintech for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. The Members may cast their votes remotely, on the dates mentioned hereinbelow, using the e-voting platform of KFintech. During this period, Members can cast their vote electronically, by selecting EVEN No. 7939 A copy of the Postal Ballot Notice is also placed on the Bank's website at https://www.suryodaybank.com

vebsite of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (https://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India (https://www.nseindia.com) and on the website of Service Provider i.e. KFIN (https://evoting.kfintech.com) in compliance with the relevant Circulars. The Board of Directors have appointed Mr. Tushar Shridharani, Practising Company Secretaries (FCS

No. 2690 & C.P No.: 2190), Mumbai and failing him, Ms. Nandini Parikh, Practicing Company Secretar (FCS No. 6240 & C.P No.: 5760), as the Scrutinizer, to scrutinize remote e-voting process fo onducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner, in accordance with the Act

All the Members are hereby informed that:

- The Special Businesses as set out in the Notice will be transacted through remote e-voting only Cut-Off Date for determining the eligibility to vote by electronic means being is Friday.
- The remote e-voting period shall commence from Saturday, March 30, 2024 (at 9:00 A.M.) and end on Sunday, April 28, 2024 (at 5:00 P.M.). The e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by KFintech upor
- Remote e-voting module shall be blocked at 5:00 P.M. on Sunday, April 28, 2024 and no Member shall be allowed to cast vote thereafter A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners
- maintained by the Depositories i.e. National Securities Depository Limited (the "NSDL") and Central Depository Services (India) Limited (the "CDSL") as on Cut-off Date Friday, March 22, 2024, only shall been entitled to avail the facility of remote e-voting: Once the vote on a Resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change
- it subsequently or cast the vote again; The voting right for Equity Shares is one vote per Equity Share, registered in the name of the
- Members. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Members as on Cut-off Date i.e. Friday, March 22, 2024, subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, as amended
- The manner in which the Members holding shares in dematerialised/physical form or who have
- not registered their email addresses can cast their vote(s) through remote e-voting are provide in the Postal Ballot Notice available on the websites of the Bank, the Stock Exchanges and KFintech. Additionally, in terms of SEBI Master Circular dated July 11, 2023, individual Me holding shares in demat mode, can register directly with the depository or through their dema account, to access e-voting page of KFintech without having to register again with KFintech for participating in the e-voting process. The detailed procedure in this regard has been explained in the Postal Ballot Notice; please refer Notes section of the Postal Ballot Notice;
- In case of any query and/or difficulty, in respect of voting by electronic means, Members may refe to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual available at the Downloads section at https://evoting.kfintech.com (KFintech Website) or contact Mr. Umesh Pandey, Senior Manager (Unit: Suryoday Small Finance Bank Limited) of KFintech at Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddi, Telangana- 500 032 or email at einward.ris@kfintech.com or call KFintech's toll free no. 1800-309-4001 for any further clarifications or write to the Company Secretary of the Bank at its Registered & Corporate office or at email id: $\underline{company.secretary@suryodaybank.com}$

1) Process of registration of e-mail addresses

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their emai addresses with the relevant Depository Participants ("DPs"). Members holding shares in physical mode and who have not vet updated their e-mail address, bank details, etc., are requested to update the same by submitting duly filled in Form ISR- 1 with relevant documents to the RTA or the Bank. Details of the same are also available on the website of the Bank a https://www.suryodaybank.com/Availing-Investor.

- 2) The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of the e-voting period unblock the votes cast, in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make a consolidated Scrutiniser's Report of the total votes cast in favour or against, if any, the Scrutiniser's person authorised by him, who shall countersign the same.
- The resolutions, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified for e-voting, i.e. Sunday, April 28, 2024, as if they have been passed at a General Meeting of the Members.
- 4) The Results of e-voting shall be declared within stipulated time and the said result along with the Scrutiniser's Report thereon shall be placed on the Bank's website https://www.survodaybank.com and on the website of Registrar and Share Transfer Agent i.e KFintech at https://evoting.kfintech.com and also be communicated to the stock exchange(s) where the Bank's shares are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, within two (2) working days from the end of the e-voting period, and shall be displayed at the notice board of the Registered Office as wel

For Suryoday Small Finance Bank Limited

Date: March 28, 2024

Company Secretary & Compliance Office

💲 standard स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

रिटेल कलेक्शन्स, 10, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 अधिक जानकारी के लिए कृपया श्री परमिंदर सिंह पनेसर से 09899890029 पर अथवा श्री सरबदीप सिंह थापर से 011 49861235 / 09810834383 पर सम्पर्क करें

कृपया स्टेंडर्ड चार्टर्ड बेंक/प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी https://www.sc.com/in/important-information/public-sale notice-of-properties-under-the-possession-of-bank/ पर प्रदत्त लिंक देखें।

ई-नीलामी बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधानों के

अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना अदान अवस्त सन्धारियों के प्राप्त कि विक्रम के सिर्पाणनिक सूचना एक सिर्पाणनिक सूचना स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधीहरताक्षरी ने प्रतिमृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गनन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रवत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक 05.05.2022 को एक मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें कर्जदारों मैसर्स मित्तल इंटरप्राइजेज अपने साझेदारों श्री विजय कुमार गुप्ता तथा श्री हिमांशु गुप्ता/श्री विजय कुमार गुप्ता को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर बकाया मूलधन, बकाया एकम (उपार्जित विव्यक्ति शुक्तों के साथ) तथा दिनांक 05.05.2022 तक ब्याज के रूप में बकाया रकम रु. 4,56,25,419.06/- (रुपये चार करोड़ छप्पन लाख पच्चीस हजार चार सौ उन्नीस एवं पैसे छह मात्र) के साथ भुगतान की वास्तविक तारीख तक आर के ब्याज की रकम चकता करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार/निदेशक/गारंटीदाता द्वारा उक्त रकम चुकता करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार/निदेशक/गारंटीदाता ए क्रणवार पहन्य जारा, निर्मास के प्रतिस्था होता. यह कि कुंका करने ने कार्यकार हो के कार्यकार होते के क्या कार्यक आम जनता को सूचित किया जाता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड वेंक के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की घारा 13 की उप-घारा (4 के साथ पढित प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत स्टैंडर्ड चार्टर्ड वेंक, रिटेल कलेक्शन्स, **10 जीवनदी** बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 शाखा के प्रति बकाया प्रत्याभृत ऋणों की वसूली के लिए कर्जदार/निदेशक/गारंटीदाताओं की यहां नीचे उल्लेखि प्रत्याभृत सम्पत्तियों पर दिनांक 11.10.2022 को भौतिक कब्जा कर लिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अब अचल सम्पत्ति को ई-नीलामी पर रखने का निर्णय लिय है तथा **"जैसे है जहां है", "जैसे है जो कुछ है" तथा "वहां जो कुछ है"** के आधार पर ई-नीलामी के जरिए बोलियां आमंत्रित की जाती है। कर्जदार को एतदद्वारा प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अंदर सारर्ण

में उल्लिखित बकाया रकम का भुगतान करने की सूचना दी जाती है, अन्यथा प्रत्याभूत सम्पत्तियों की नीलामी कर दी जाएगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति पीवीटी. नं. टी-6, तीसरी मंजिल, क्षेत्र का परिमाप 301 वर्ग मीटर, साथ में आकाश तक टेरेस/छत का अधिकार, उसके छत पर सर्वेट क्वार्टर तथा संलग्न सम्पूर्ण टेरेस साथ में भूतल पर कार पार्किंग की सुविधा का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, सम्पत्ति संख्या 17, बेला रोड सिविल लाइन्स, दिल्ली 110054 का हिस्सा।

चौहद्दी निम्नानुसारः उत्तर में: स्वत्वाधिकार विलेख के अनुसार पूर्व में: स्वत्वाधिकार विलेख के अनुसार **पश्चिम में**: स्वत्वाधिकार विलेख के अनुसार दक्षिण में: स्वत्वाधिकार विलेख के अनुसार र्रामरी (अप्रक्षित मूला का 10%)

ı		जाराबारा नूटव	इर्नेका (जाराबारा नूट्य यम 1070)	વાલા યુદ્ધ લ્વન		
I		₹. 29,429,100.00/-	रु. 2,942,910.00/-	₹. 1,000,000/-		
I	सम्पत्तियों का निरीक्षण		12.04.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे	12.04.2024 को पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक		
I	ऑनलाइन निविदा एवं आवेदन प्रपत्र जमा करने की		ने की दिनांकः 25.04.2024 समयः अपराह	दिनांकः 25.04.2024 समयः अपराह्न 5.00 बजे		
I	अंतिम तारीख एवं समय					
l	ई-नीलामी की तारीख एवं समय		जरिए दिनांक 26.04.2024 को पूर्वाहन	ई-नीलामी पोर्टल <u>www.matexauctions.com</u> (ई-नीलामी प्रदाता की वेब का पता) के जरिए दिनांक 26.04.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक आयोजित की जाएगी साथ में बिक्री के सम्पन्न होने तक 10 मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार		
I	सम्पर्क व्यक्ति एवं दूरभाष सं.			श्री परमिंदर सिंह पनेसर से 09899890029 अथवा		
ı			श्री सरबदीप सिंह थापर से 011 4986	1235/09810834383		

ई-नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्नलिखित हैं

सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 18.04.2024 को पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक किया जा सकता है। नियम एवं शर्तों के साथ निविदा/बोली प्रपन्न वेबसाइट http://www.matexauctions.com से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा प्रपन्न तथ नियम एवं शर्ते वेबसाइट पर 2 अप्रैल, 2024 से 28 अप्रैल, 2024 को अपराह्न 01,00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। आवश्यक सभी नियमों के अनुपालन के साथ बोली/निविदा प्रपत्र के साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऋण खाता सं. 53177592 के पक्ष में बयाना राशि जमा करने के रूप में रु. 2,942,910.00/- (रुपरे **उनतीस लाख बयालीस हजार नौ सौ दस मात्र)** की ईएमडी रकम के साक्ष्य जमा करना होगा। बयाना राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा बोली प्रपत्र www.matexauctions.com से डाउनलोड कर उसे भलीभांति भर कर अपलोड करना होगा।

बयाना राशि जमा के साथ बोली जमा करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल. 2024 को अपराहन 5.00 बजे तक अथवा उससे पहले है। बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तावित बोलीदाता को अपनी पहचान के साक्ष्य तथा आवास के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, निर्वाचन आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग

लाइसेंस इत्यादि की प्रतिलिपि तथा भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रतिलिपि जमा करनी होगी। बोलीदाताओं के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तथा वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए (इच्छुक बोलीदाता के लिए ई-मेल आईडी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि मैसर्स मैटेक्स नेट प्रा. लि. द्वारा आईडी एवं पासवर्ड का आवंटन तथा सभी प्रासंगिक जानकारी ई-मेल द्वारा प्रदान की

प्राप्त सभी बोलियाँ नीलामी की तारीख को खोली जाएंगी तथा आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य वाले उच्चतम बोलीदाता की बोली बैंक द्वारा स्वीकार की जा सकती हैं। किसी भी परिश्वित में आरक्षित मून्य से कम कीमत पर सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी। तथापि, नीलामी स्थल पर व्यक्तियात रूप से उपस्थित एहने वाले बोलीदाता के पास अपनी बोली को न्यूनतम रु. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) द्वारा बढ़ाने का अधिकार भी होगा तथा सर्वोच्च मूल्य प्रस्ताविद रहन चाल बालाबात के बात जमना बाला का चूनान र. 1,00,000 (एक लाब नाम) द्वारा बढ़ान के जावका ने ना होना जब स्वाच्य किए जाने पर बैंक के चाल वसे स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होना। प्रत्येक बोली के उपरात, अगली बोली के लिए विडो 5 मिनट के लिए खुली रहेगी, जिसके अंदर अगली बोली लगाई जा सकती हैं। नीलामी का समय पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक 120 मिनट के लिए होगा साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार का समय प्रदान किया जाएगा। ई-नीलामी के बंद होने के समय के अंतिम 10 मिनट में अगर बोली लगाई जातें है, तो बंद होने का समय स्वतः 10 मिनट के लिए विस्तारित हो जाएगा।

तत्पश्चात. बैंक द्वारा बिक्री की पटी किए जाने पर केता को बयाना राशि जमा की रकम के समायोजन के लपगंत बिक्री मन्य की 25% (पन्नीय पतिशत राशि अधोहस्ताक्षरी के पास तत्काल जमा करनी होगी। क्रेता को अधोहस्ताक्षरी के पास उक्त सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टी के दिन से पंद्रहवें दिन अथवा उसर पहले अथवा पार्टियों द्वारा लिखित रूप से सहमत विस्तारित अविध तक क्रय मूल्य की शेष 75% की राशि का भुगतान करना होगा। ऊपर उल्लेखित समय के अंदर भुगतान करने में विफल रहने पर, बैंक के पास जमा बयाना राशि की रकम जब्दा करने तथा सम्पत्ति को पुनः नीलाम करने का अधिकार सुरक्षित है। सम्पत्ति से संबंधित सभी दावों अथवा बाद में बिक्री किए जाने से प्राप्त किसी भी रकम के हिस्से पर असफल केता के पास कोई दावा करने का अधिका

केता द्वारा सभी तरह के भगतान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऋण खाता सं. 53177592 के पक्ष में डिमांड डाफ्ट/पे आर्डर द्वारा करना होगा।

अभी द्वारा पंचा (४५ पुराता) रेट्ड किया कर्य ऋता खाता (२००४) गाउट ४४ वया ना लगाल ब्रान्ट १४ करा द्वारा परना होगा विक्री मूल्य की सम्पूर्ण रकम प्राप्त होने पर, बैंक द्वारा क्रेता के पक्ष में विकय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा क्रेता को सम्पत्ति पर कब्जा सौंप दिया जाएगा अधोहस्ताक्षरित अधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टी किए जाने की तारीख से यहां नीचे अनुसूची में उल्लेखित संबंधित अचल सम्पत्ति का सम्पूर्ण जोखिम

बयाना राशि के एवज में जमा किए गए डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर असफल बोलीवाताओं को वापस कर दिया जाएगा। समी उद्देश्यों के लिए कथित सम्पत्ति की बिक्री "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" तथा "वहां जो कुछ है" के आघार पर की जाएगी। बैंक के अधिकृत

. समा उदस्या क तिए कायत सम्पात का बिक्रा जास ह जाहा है , जास ह जा है तथा वहां जा कुछ है के आधार पर का जाएगा। बक के आधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सम्पत्ति पर अन्य कोई भी ऋण भार नहीं है। . स्टैम्प ड्युटी, पंजीयन सुरूक, हस्तांतरण सुरूक, करों, रखरखाव सुरूकों, सम्पत्ति कर, बिजली तथा पानी के सुल्कों/टीडीएस से संबंधित सभी व्यय तथा ऊपर उल्लिखित सम्पत्ति के संबंध में अन्य किसी भी सुरूक का भुगतान सफल बोलीदाता/क्रेता को करना होगा। . अधिकृत अधिकृती सर्वोच्च प्रस्ताव अथवा किसी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी

अथवा सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। अधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट सम्पत्तियों के संबंध में विवरण का उल्लेख किया गया है तथा अधिकृत

अधिकारी इस नीलामी घोषणा में किसी भी तरह की त्रुटि, गलत विवरण अथवा भूल ब्यौरा के लिए जवाबदेह नहीं होगा। उपरोक्त के अलावा बैंक के पा अवधार इस साला वाचना ने फिसा नार रहे था हुए, परारा वाचरा अवधा मूल बारा के लिए प्रत्याभूत सम्मत्ति के संबंध में अन्य किसी भी ऋणमार की जानकारी नहीं है। 16. प्रत्याश्चित बोलीदाताण ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय पर सम्मति का निरीक्षण कर सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के अधीन 15 दिनों की विधिक सूचना

कर्जवार/मैसर्स मित्तल इंटरप्राइजेज के निदेशकगण अपने साझेवारों श्री विजय कुमार गुप्ता तथा श्री हिमांशु गुप्ता/श्री विजय कुमार गुप्ता पिता बशेशर दयाल गुप्ता/श्री हिमांशु गुप्ता पिता श्री विजय कुमार गुप्ता को एतवृद्वारा ई-नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लेखित बकाया रकम के साथ अद्यतन व्याज तथ रकम चुकता करने हेतु सूचना दी जाती है, अन्यथा अनुसूचित सम्पत्ति नीलाम/बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया रकम, यदि कोई हो ब्याज एवं लागत के साथ वसूली जाएगी।

दिनांक: 29.03.2024 अधिकृत अधिकारी

जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

पोस्टल बैलेट तथा रिमोट ई–वोटिंग की सूचना

ावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, के नियम 22 और नियम 20, कारपोरेट

कार्य मंत्रालय और सेबी के प्रासंगिक सकर्लरो, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के नियम 44 और 47, जनरल मीटिंग के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड और ऐसे

अन्य प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुसार, जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (''कंपनी'') के

सदस्यों की सिर्फ रिमोट ' इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग '(ई-वोटिंग) द्वारा पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांकित 27 मार्च,

2024 में उल्लेखित निम्नलिखित प्रस्तावों पर सहमित के लिए. पोस्टल बैलेट का नोटिस 28 मार्च, 2024

को उन सदस्यों को भेजा जा चुका है जिसका नाम सदस्यों कें रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखें गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर के कट-ऑफ तिथि शुक्रवार 22 मार्च, 2024 के दिन बिजनेस घंटों के

समाप्त होने तक दर्ज है. और जिनका ई-मेल पता कंपनी ∕रजिस्टार और टांसफर एजेंट ∕डिपाजिटरी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110, धारा 108 और

1 श्री चिराग मनसख पटेल को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियक्त किया जाना है।

श्री ज्ञान प्रकाश को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना है।

सुश्री श्वेता गुप्ता को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना है।

6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत ऋण, गारंटी या सुरक्षा को मंजुरी देना।

इक्क्रिटी शेयर पूंजी में उसकी ⁄ उसकी शेयरधारिता के अनुपात में होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(🕻) के अंतर्गत कंपनी के ऋण लेने की सीमा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1 X a) के अंतर्गत कंपनी की सुरक्षा ⁄ बंधक ⁄ प्रभार क

पोस्टल बैलेट नोटिस और पोस्टल बैलेट फॉर्मों की भौतिक प्रति को भेजने की आवश्यकता कारपोरेट कार्य मंत्रालय और मेली के प्रामंगिक मकर्लगे के तहत समाप्त कर ही गई है। लगागर (कार्यवादी को प्रोम्हल

बैलेट द्वारा केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है और सदस्यों की सहमति या असहमति

कंपनी अपने सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से

प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक माधम (रिमोट ई-वोटिंग) के द्वारा अपने वोट का उपयोग करने के लिए ई-वोटिंग

सुविधा प्रदान कर रही है।रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 30 मार्च, 2024 सुबह 9:00 बजे(भारतीय मानक समय) से शरू होकर रविवार. 28 अप्रैल. 2024 शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) को

समाप्त होगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल निश्किय कर दिया जाएगा और

कथित तिथि एवं समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों द्वारा प्रस्तावों

पर वोट देने के बाद, उन्हें उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य

जो कि कट-ऑफ तिथि यानी शक्रवार. 22 मार्च. 2024 को भौतिक रूप से या डिमैटेरियलाइज्ड रूप से

शेयर रखतें हैं, वे इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते है। किसी सदस्य/लाभार्थी स्वामी (इलैक्ट्रॉनिक

शेयरधारिता के मामले में) के वोटिंग आधिकार कथित कट-ऑफ तिथि के अनसार कंपनी की चकता

कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य जिनके पास पोस्टल बैलेट नोटिस का ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है, वे

'पोस्टल बैलेट नोटिस'' शीर्षक वाले विषय से cs@genus.in पर एक ईमेल लिख सकते हैं और नोटिस

पाप्त कर सकते हैं। शेयरों को फिजिकल मोड में धारण करने वाले सदस्यों को, जिन्होंने कंपनी के साथ

उनका मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी पंजीकत/अपडेट नहीं किया है. M/s. Niche Technologies

Private Limited, 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata-700017 को अपने विवरण भरे हुए फार्म ISR-1 (वेबसाइट पर उपलब्ध) समर्थन दस्तावेजों के साथ भेजने का अनुरोध

किया जाता है। शेयरों को इलेक्टॉनिक मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यों कों, जिन्होंने अपना मोबाइल

नंबर और ईमेल-आईडी पंजीकरण नहीं किया है. अपने डिमेट खाते को प्रबंधित करने वाले डिपॉजिटरी

पार्टिसिपेंटस⁄डिपाजिटरी में पंजीकत है:

क्रं.सं संकल्प/मदों का विवरण

संशोधन को मंजूरी देना।

सजन करने की मंजूरी देना।

्रिजीकृत कार्यालयः जी-123, सेक्टर-63, नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश) २२, इंमेलः cs@genus.in, वेबसाईटः www.genuspower.com, CIN: L51909UP1992PLC051997

Genus

(T) IDBI BANK

दिनांक 28.03.2024 को इस समाचार पत्र रं प्रकाशित सोने के आभूषणों की सार्वजनिक सूचना में ऋणी- ओमप्रकाश सोनी एवं राजेश . विवाल के सोने के आभूषणों की नीलार्म सूचना की दिनांक 05.04.2024 है। शेष तथ्य यथावत है। दिनांकः **28.03.202**4 आईडीबीआई बैंक लि.

भारतीय खाद्य १६—२०, बाराखम्बा लेन, मुख्यालय, नई दिल्ली—११०००१, फोन : ०११—४३५२७/ अल्पावधि ऋण हेत् आमंत्रण का प्रस्ताव

भारतीय खाद्य निगम, आवश्यकता पड़ने पर, अनुसूचित बैंक से 03 महीने की परिपक्वता अवधि के लिए अल्पावधि ऋण जुटाने का इच्छुक है। इस निविदा के अंतर्गत, किसी भी क्षण, एसटीएल के माध्यम से बकाया उधार 30,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए 'https://eprocure.gov.in/eprocure/app' और 'https://fci.gov.in/headquarter/tender' पर

टेली नं. 011-43527408 राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा प्रहरी

प्रात: 11:00 बजे तक है।

जाएं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 18.04.2024 की

माननीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष सी.ए.सं. 2024 की 56

कंपनी याचिका सं. 2009 की 120 (एनडी) गीलांबर अग्रवाल एवं अन्य

याविकाकर्ता (नीलांबर अग्रवाल) ने माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की पीठ संख्या ॥ के समक्ष लंबित कंपनी याचिका सं. 2009 की 120 (एनडी) में सीए सं. 2024 की 56 दायर किया है. जिस (एनडा) में शाए सं. 2024 की 56 दायर किया है, जिसमें निमारिविश्वत प्रार्थनाएं की गई हैं – क. यायिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 2 को संयुक्त रूप सं. आनंद नगर सेक्टर- 1 के अनुमोदित मानवित्र सं. 397/पा/ 08-09 उपर्युक्त प्लॉट नं. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 71 से 79 और 83 से 91

और आनंद नगर सेक्टर 2 के अनुमोदित मानचित्र सं. 398 / एम / 08-09 में प्लॉट सं. 9 से 12, 14 से 16, 31 से 33, 63 से 65, 68, 85 और 88 से 90 को, कॉलोनी में आवश्यक विकास कार्य करने हेतु, न्यायहित में बेचने की अनुमति देने का आदेश

पारत कर, तथा; याविकाकता के प्रतिवादी सं. 2 के साथ प्रतिवादी सं. 1 कंपनी के मौजूदा बँक खाते को पुनर्जीवित करने की अनुमति देने का आदेश पारित करें, या आवेदक को प्रतिवादी सं. 1 कंपनी का एक नया बँठ खाता खोलने की अनुमति दें जिसे याचिकाकृती और प्रतिवादी सं. 2 द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाएगा, और;

ऐसा कोई अन्य आदेश या आगे के आदेश पारित करें जो माननीय न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारित करना

हंपनी याचिका सं. 2009 की 120 (एनडी) में उपर्यक्त सीए सं. 2024 की 56 माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष साए सं. 2024 को 56 माननाय न्यायाधकरण क समस दिनांक 20.03.2024 को सुचीबद्ध किया गया था और प्रतिवादी सं. 3 से 37 के उपस्थित न होने के कारण. माननीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 20.03.2024 के आदेश के माध्यम से जान्य बातों के साध्य-साथ प्रतिवादी सं. 3 से 37 के खिलाफ प्रकाशन के माध्यम से नोटिस की तामील को प्रतिस्थापित करने का निर्देश दिया है और मामले को दिनांक 05.04.2024 पर सूचीबद्ध कर दिया है। तदनुसार, उपरोक्त मामले में प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि उक्त मामला अगली बार दिनांक 05.04.2024 को माननीय कंपनी कानन न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की पीठ सं. ॥ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है

हस्ता /-नीलांबर अग्रवा

नालाबर अग्रवाठ पुत्र दिनेश कुमार अग्रवाठ निवासी 24, ब्लॉक 1, चार्मवुड विलेज, फरीदाबाद

कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड("आइएचएफएल") प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **गौरव गुप्ता और सिमरन** को 21.01.2022 की सचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.HHLMER00219395 की रागि रू.20,89,163.37 /- (रुपए बीस लाख नवासी हजार एक सौ तिरेसठ और सैंतीस पैसे मात्र) और 20.01.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। पहले **आइएचएफएल ने** दिनांक **27.06.2023** के असाइनमेंट करार द्वारा **एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड ("एसीआरई")** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को दिनांक **04.08.2023** के रेक्टिफिकेशन एग्रीमेंट

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को प्रतिदास संस्पृति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.20,89,163.37 /- (रुपए बीस लाख नवासी हजार एक सौ तिरेसठ और सैंतीस पैसे मात्र) 20.01.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

युनिट नं.1026, दसवीं मंजिल, ब्लॉक -बी1, गोल्फ विलेज, सुपरटेक गोल्फ कंट्री, टीएस-5, सेक्टर 22-डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301 प्राधिकत अधिकार्र दिनांक : 23.03.2024

एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

कब्जा सूचन (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार हकीमुल खान और आरती को 05.01.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00504628 की राशि रू. 13.64.361.19 (रूपए तेरह लाख चौंसठ हजार तीन सौ डकसठ और उन्नीस पैसे मात्र) और 04.01.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 13,64,361.19 (रूपए तेरह लाख चौंसठ हजार तीन सौ इकसठ और उन्नीस पैसे मात्र) 04.01.2024 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण पहली मंजिल के निर्माण के सभी भाग और खंड, मापित क्षेत्र 37.50 स्क्वे. यार्डस (पीछे बाएँ हाथ की ओर/दक्षिण-पश्चिमी भाग), छत के अधिकार के बिना, बेअरींग संपत्ति क्रमांक 116 की भूमि पर स्थित, खसरा नं. 66/12 में से, गाँव हस्तसाल के क्षेत्र में स्थित ओम विहार से पहचाने जानेवाली कॉलोनी में, फेज़ V, ब्लॉक-ई में, उत्तम नगर, गाँव-हस्तसाल, नई दिल्ली-110059 और यही निम्नानुसार परिबध्द है-

: सामने की ओर / सडक़ 20 फीट चौड़ी (प्रवेश) पश्चिम : गली नं. 10 फीट चौड़ी : दाहिने हाथ की ओर यूनिट / अन्य की संपत्ति दक्षिण : अन्य की संपत्ति

उक्त संपत्ति के सामान्य पार्किंग क्षेत्र में सामान्य दोपहिया पार्किंग अधिकारों के साथ, घूर्णनशील आधार पर निचली भूमि में आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकारों के साथ, सभी अधिकारों के साथ टाइटल फिटिंग और फिक्स्चर के साथ सामान्य मार्ग और सीढी जो जमीन से ऊपरी मंजिल

दिनांक : 27.03.2024 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **नेहा भाटी और शिवम सिंह भाटी** को 26.12.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता** नं. HHLVAS00235491 की राशि रू. 20,98,994.61 (रूपए बीस लाख अट्टानबे हजार नौ सौ चौरानबे और इकसठ पैसे मात्र) और 21.12.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान

किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 20,98,994.61 (रूपए बीस लाख अट्टानबे हजार नौ सौ चौरानबे और इकसठ पैसे मात्र) 12.12.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

. उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण यूनिट नं. 2002, जिसका सुपर क्षेत्र 598 स्क्वे. फीट, बीसवीं मंजिल, ब्लॉक ए-3, ईको विलेज-1, प्लॉट

नंबर-जीएच-08, सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 27.03.2024 स्थान : गौतम बुद्ध नगर

प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

मही/



<mark>पंजीकृत कार्यालयः</mark> 401-402, लूसा टावर, आजादपुर कमर्शियल कॉमप्लेक्स, दिल्ली-110033 CIN: L65991DL1996PLC083909 II वेबसाइट - www.insecticidesindia.com दूरभाष सं. - 011-27679700-05 II ई-मेल - investor@insecticidesindia.com पोस्टल बैलट की सचना

रतदृद्वारा सूचना दी जाती <mark>है कि</mark>, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक साधनों ("ई-वोटिंग") के जरिए वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलट के माध्यम से प्रस्तावित विशेष प्रस्तावों के लिए कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन की मांग के लिए साधारण परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/ 2020 दिनांक 15 जुन, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 देसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मर्ड 2022 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर 2022 एवं 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 (जिसे यहां सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा गया है) तथा जारी अन्य लागू परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं (समय-समय पर प्रमावी इसके किसी भी संविधिक संशोधनों अथवा पुनरिधिनयम तथा समय-समय पर किए गए बदलाव सहित) के मार्फत ई-वोटिंग के जिए पोस्टल बैलट प्रक्रिया के संचालन, सामय पर किए गए बदलाव सहित) के मार्फत ई-वोटिंग के जिए पोस्टल बैलट प्रक्रिया के संचालन, साधारण बैठक के आयोजन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा 110 ('अधिनियम') के साथ पठित कंपनी (प्रवंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22, यथा संशोधित ('प्रवंधन नियमवलियां'), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 ('सूचीकरण विनियम'), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साधारण बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2"), प्रत्येक यथा संशोधित, के अनुपालन के तहत तथा कॉरपोरेट मामले मंत्रालय

"एमसीए") द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार सूचना दी जाती है। क विशेष प्रस्ताव का विवरण

05 फरवरी, 2024 से 04 फरवरी, 2029 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि हेतु कार्यालय क कार्यभार संभालने हेतु कंपनी के गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री श्याम लाल बंसल (डीआईएनः 02910086) की नियुक्ति हेतु, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं 05 फरवरी, 2024 से 04 फरवरी, 2029 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि हेतु कार्यालय का कार्यभार संभालने हेतु कंपनी के गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय (डीआईएनः 03558215) की नियुक्ति हेतु, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के ि

ोस्टल बैतट सुवना कंपनी के उन सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिनके नाम शुक्रवार, 22 मार्च, 2024 "अंतिम तारीख") को डिपॉजिटरी से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वत्वाधिकारियों की सूची में दर्ज है। सदस्यगण ध्यान दें कि यह सुचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.insecticidesindia.com तथ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यानी www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

आपका ई-मेल का पता अगर कंपनी/डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत नहीं है, तो ई-मेल पता के पंजीकरण तथा रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड हासिल करने हेत् नीचे उल्लेखित प्रक्रिया क

p) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के समक्ष अपने ईमेल का पता क पंजीकरण/अद्यंतन नहीं कराया है, उनसे investors@insecticidesindia.com पर अथया rta@alankit.com पर पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए), अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के पास नाम, पता, फोलियो नम्बर के ब्योरे के साथ अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रतितिषि तथा सदस्य के पे कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर कंपनी के पास लिख कर उसका पंजीकरण/अद्यतन करवाने का अनुरोध किया जाता है। ख) डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यों से प्रासंगिक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ

अपने ईमेल पता का पंजीकरण/अदातन करवाने का अनुगेध किया जाता है। पोस्टल बैलट सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक तरीके अपना वोट डालने के लिए

सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग को सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिल्टर सर्वरुयों को सक्षम बनाने हेतु कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग को सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिल्टर सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवा नियुक्त की है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देशावलियां पोस्लट बैलट सूचना का अंग है।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण तथा तिथियां निम्नलिखित हैं रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि शिनवार, 30 मार्च, 2024 को सुबह 09.00 बजे (भामास) रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि रविवार, 28 अप्रैल, 2024 को अपराहन 05.00 बजे (भामास निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया के स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से संचालन के लिए जांचकर्ता के रूप

ों श्री मयंक दुबे, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ9203; सीपी 10819) को नियुक्त किया है प्रतिवेदन के साथ पोस्टल बैलट के परिणामों को मंगलवार, 30 अप्रैल, 2024 को अथव उससे पहले कंपनी की वेबसाइट www.insecticidesindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर प्रकाशित किए जाएंगे तथ कंपनी के पंजीकत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न अथवा समस्या रहने पर, सदस्यगण www.evotingindia.com

पर हेट्य सेक्शन में 'फ़िक्वेंटली ऑक्स्ड ववैश्वन्स' (एफ़्एक्यू) तथा 'यूजर मैनुअल फॉर शेयरहोल्डर्स ह कॉस्ट देयर वोट्स' भी देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमल के जिर लिख सकते हैं अथवा सीडीएसएल से 1800225533 पर सम्मर्क कर सकते हैं. सदस्यों से पोस्टल बैलट की सूचना में तथा ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने के लिए विशेष प्रारूप में निर्धारित सभी टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

कृते इंसेक्टिसाइडस (इंडिया) लिमिटेड तारीख: 28/03/2024

संदीप कुमार कंपनी सचिव

यमुना इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिभिटेड- परिसमापन के अंतर्गत सीआईएन : U70200DL2012PTC233903

रेसमापक द्वारा भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2010 के विनियम ३७ए के अंतर्गत यमना इंफाडेवलपर्स पाइवेट लिमिटेड – परिसमापन के अंतर्गत ("निगमिव की तत्काल रूप में अवसली योग्य परिसंपत्तियों ("एनआरआरए") के असाइनमेंट अथव हस्तांतरण के लिये संभावित निवेशकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति निमंत्रित की जाती है। निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को "जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं, वहां जो कुछ भी हैं एवं बिना किसी संसाध भाधार" पर सौंपा या हस्तांतरित किया जायेगा।

एनआरआरए में निम्न सम्मिलित है

धोखाधडी गलत लेनदेन के लिये संहिता की धारा 67 के साथ पठित धारा 66 के अंतर्गत माननीर निर्णयनकारी प्राधिकारी अर्थात् आईए 228 ऑफ 2022 के समक्ष, अधिमान एवं कम मूल्यकृत लेन—देने के संदर्भ में संहिता की धारा 43 एवं 44 के अंतर्गत आईए 5653 ऑफ 2021 तथा निषेध परिचालन की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक के साथ अनरक्षित निगमित देनदार के बैंक खाता से निकाली गयी ए दुरुपयोग की गयी एक राशि की वसूली की संहिता की धारा 74 के साथ पठित धारा 68(ii) के अंतर्गत प्रस्तुत आईए 778 ऑफ 2020 के अंतर्गत वर्तमान में निस्तारण हेतु लंबित तीन आवेदनों में अंतर्निहित परिसंपत्तियां शामिल हैं। इन तीन आवेदनों के अंतर्गत रु. 28,72,33,156/– की राशि की वसूली व लिये प्रार्थना की गयी है। इसका प्रक्रिया ज्ञापन, जो इस लिंक पर उपलब्ध है https://drive.google.com/file/d/1jLI5o3GRDHcFq97bo7zzXR7Z0fJn5Q0G/view?us n=sharingcontainstheterms जिसमें भागीदारी के नियम एवं शर्ते इत्यादि समाविष्ट हैं।

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये —91 9811652355 पर कॉल करें या liq.yipl@gmail.com ritaca_1996@yahoo.co.in पर ईमेल करें। एनआरआरए की अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2024 है।

कृते यमुना इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड – परिसमापन के अंतर्गत दिनांक : 29 मार्च 2024

स्थान : नई दिल्ली

IBBI/IPA-001/IP-P00149/2017-18/10313 liq.vipl@gmail.com, ritaca 1996@yahoo.co.in

कब्चा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृ अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क उपयोग करके कर्जदार संदीप सिंह (थू पीओए दलजीत सिंह मोंगिया उर्फ दलजीत सिंह) औ दलजीत सिंह मोंगिया उर्फ दलजीत सिंह को 29.12.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं HHLNOD00216756 की राशि रू.40,56,979.03 /- (रुपए चालीस लाख छप्पन हजार नौ सँ <mark>उनासी और तीन पैसे मात्र)</mark> और 20.12.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान् जनता को सुचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.03.2024 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लि सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.40,56,979.03 /- (रुपए चाली **लाख छप्पन हजार नौ सौ उनासी और तीन पैसे मात्र) 20.12.2023** के अनुसार और उस पर ब्याज वे साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्ग संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण फ्लैट नं. 903 , जिसका 1000 स्के.फीट, नौवीं मंजिल पर, ब्लॉक/टॉवर -सी2/ सी2, गोल्फ विले

से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट में, टीएस-5 पर स्थित, सेक्टर 22-डी, यमुना एक्सप्रेसवे, जीआ नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उत्तर प्रदेश, एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ। दिनांक: 23.03.2024

> पाधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

स्थान : नोएडा

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड("आइएचएफएल") प्राधिकृत अधिकारी होने के नार्व सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **भुवनेश्वर औ**र दीपा सिंह को 12.01.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.HHLVAS00315587 की राशि रू.28,80,944.42 🖊 (रुपए अट्टाईस लाख अस्सी हजार नौ सौ चौवालीस और बयालीस पैसे मात्र) और 29.12.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनो न भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचेना जारी की थी । पहले **आइएचएफएल ने** दिनांक 27.06.2023 के असाइनमेंट करार द्वारा **एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटे**ड **"एसीआरई")** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को दिनांक **04.08.2023** वे

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सव गमान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्टेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत nप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततद्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान

किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.28,80,944.42 /- (रुपए अट्टाईस लाख अस्सी हजार नौ सौ चौवालीस और बयालीस पैसे मात्र) 29.12.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ एसेटस केअर एन्ड रिकंस्टक्शन एंटरपाइज लिमिटेड के आधीन होगा. ध्यारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत

संपति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं 1708 के सभी भाग और खंड, सत्रहवीं मंजिल, सी-4 गोल्फ विलेज, टीएस-5 सेक्टर -22डी. यमना एक्सप्रेसवे. ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश प्राधिकृत अधिकार्र दिनांक : 23.03.2024 एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड स्थान : ग्रेटर नोएडा

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष नई दिल्ली बेंच **कोर्ट संख्या III** नई दिल्ली में (मूल न्यायाधिकार) कंपनी याचिका संख्या. सीपी (सीएए) १५ (एनडी-१११) २०२४

साथ ज्डे कंपनी आवेदन संख्या. सीए (सीएए) ८६ (एनडी-१११) २०२३ कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के मामले में

धारा २३० से २३२ और समामेलन की योजना के मामले में और के मामले में

एसवीजी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड

याचिकाकर्ता/हस्तांतरणकर्ता कंपनी (कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, और इसका पंजीकृत कार्यालय एस-27, दूसरी मंजिल, स्टार सिटी मॉल मार्केट जिला मयूर विहार, चरण-१, पूर्वी दिल्ली-११००९१ है;

इंमेल: secretarial@dentsu.com) साथ में

एएमनेट ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गैर-याचिकाकर्ता/हस्तांतरिती कंपनी

(कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के तहत निगर्मित एक कंपनी, और इसका पंजीकृत कार्यालय देवचंद हाउस, सी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, शिवनगर एस्टेंट, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई, मुंबई सिटी-४०० ०१८, महाराष्ट्र में है; ईमेल: Secretarial@dentsu.com)

याचिका की सुनवाई की सूचना ऊपर नामित याचिकाकर्ता एमनेट ट्रेडिंग इंडिया प्राहुवेट लिमिटेड के साथ **एसवीजी मीडिया प्राहवेट लिमिटेड** के समामेलन की योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत एक याचिका १९ फरवरी २०२४ को प्रस्तत की गई थी और ११ मार्च २०२४ को स्वीकार की गई थी और उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष १३ मई २०२४ को सबह १०.३० बजे सुनवाई के लिए तय की गई है।

यदि कोई भी संबंधित व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक है, तो उसे अपने या अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित अपने इरादे का नोटिस राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली ब्लॉक नंबर ३, ग्राउंड, ६ठी, ७वीं और ८वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, ११०००३ और इसकी ईमेल आईडी: Courtofficerb3-nd@nclt.gov.in पर याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले तुक भेजूना चाहिए। उक्त अभ्यावैदन की प्रति याचिकाकर्ता कुंपनी के पुंजीकृत कार्यालय और कंपनी की ईमेल आईडी: secretarial@dentsu.com और वकील की ईमेल आईडी:

naresh.mansa@gmail.com पर एक साथ भेजी जा सकती है, जहां कोई भी संबंधित व्यक्ति उपरोक्त याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या उस ओर से शपथ पत्र की प्रति ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले कंपनी की ईमेल आईडी: secretarial@dentsu.com और वंकील की ईमेल आईडी: naresh.mansa@gmail.com पर पूछताछ भेजकर याचिका की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त की जा सकर्ती है।

> एसडी/ नरेश कुमार याचिकाकर्ता कंपनी के वॅकील

इंमेल: naresh.mansa@gmail.com

४०६ | पॉकेट -५ | मयूर विहार, चरण-१ | दिल्ली ११००९१ एमबी: 9818655442

दिनांक: 28.03.2024 स्थान: नई दिल्ली

प्रतिभागियों के साथ उसे पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है, जो ई-वोटिंग के लिए अनिवार्य है। पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.genuspower.com, स्टॉक एक्सचेंजो यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमशः तथा सीडीएसएल की वेबसाइट

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है । यदि आपको सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या होती है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं। इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतों को समाधान के लिए सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लिमिटेड के श्री राकेश दलवी. वरिष्ठ प्रबंधक. ए विंग 25 वें मंजिल. मैराथन फ्यचरेक्स. मफतलाल मिल कम्पाउंडस. एनएम जोशी मार्ग. लोअर परेल (पर्व) मबर्ड-400013 को भोजें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800225533 पर संपर्क करें । कंपनी के निदेशक मंडल ने केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट का संचालन करने

और उसमें डाले गए वोटों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए मैसर्स एआरएमएस एण्ड ऐसोसिएंट एलएलपी. प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव के भागीदार श्री संदीप जैन (सदस्यता संख्या: एफसीएस नं. 5398, सीपी नं. 4151) और उनकी अनुपस्थिति में सुश्री लता ज्ञानमालानी (सदस्यता संख्या: एफसीएस नं. 101066, सीपी संख्या 9774) को सवींक्षक के रूप में नियक्त किया है। पोस्टल बैलेट दारा वोटिंग (ई-वोटिंग प्रकिया के माध्यम से) के परिणाम संवीधक की रिपोर्ट के साथ.

चेयरमैन या उनके द्वारा अधिकत व्यक्ति द्वारा मतदान समाप्ति के दो कार्यदिवस के भीतर घोषित किए जाएंगे।पोस्टल बैलेट के परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.genuspower.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर पोस्ट किए जाएंगे और उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम एनएसई और बीएसई को भी सूचित किए जाएंगे जहां कंपनी के इक्किटी शेयर लिस्ट है। कते जीनस पावर इन्फ्रास्टक्चर्स लिमिटेड पुरन सिंह राठौड़ संयुक्त कंपनी सचिव

दिनांक: 28 मार्च, 2024

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड